Judgement - 11 Sheet
Decree. 2 Sheet
Total 13 Sheet

**न्यायालय—मुंसिफ, जहानाबाद**
**जिला—जहानाबाद, बिहार**

**हकियत वाद संख्या—12/2009**

रतन साव.......................................................................................................................वादी

बनाम

शम्भु साव एवं अन्य.........................................................................................................प्रतिवादीगण

वादी के विद्वान अधिवक्ता..................................................................................... श्री कुमार धिरेन्द्र
प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता........................................................................ श्री कुमार गिरेन्द्र

**निर्णय की तिथिः—14.03.2022**

उपस्थितः—आलोक रंजन,
मुंसिफ, जुनियर डिविजन

## निर्णय

1. वादी ने यह वाद इस अनुतोष की माँग के साथ दाखिल किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादी का है तथा प्रतिवादीगण का उससे कोई सरोकार नहीं है घोषित किया जाये साथ—ही वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर दखल—कब्जा सम्पुष्ट किया जाये। यदि न्यायालय पाती है कि वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा—दखल नहीं है तब वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादीगण से खाली कराकर वादी को पुर्न कब्जा—दखल दिलाया जाये। साथ ही वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी के कब्जा दखल में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा आदेश पारित कर रोके जाने का भी अनुतोष की माँग वादी ने किया है।

2. वादी का वाद पत्र में प्रक्कथन है कि ग्राम—दमुहा में एक पाचु साव थे। पाचु साव को तीन लड़का जगु साव, मेवा साव और गंगा साव थे। वादी जगु साव के पोता है। मेवा साव का लड़का देवनारायण साव थे तथा देवनारायण साव तीन लड़का शम्भु साव, ललन साव, एवं अमरेन्द्र साव है। गंगा साव को चार लड़का सीताराम साव, सत्यनारायण साव, भरत साव, एवं शत्रुध्न साव थे जिसमें सीताराम साव एवं सत्यनारायण साव मर गये। सीताराम साव के तीन बेटा सुशील साव, संजय साव, और दीपू साव है। सत्यनारायण साव के लड़का विजय साव हुये। उनका कथन है कि गंगा साव के वारिसान को वादग्रस्त सम्पत्ति से सरोकार नहीं है, इसलिए उन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनका वाद पत्र में आगे कथन है कि पाचु साव को ग्राम—दमुहा में खाता संख्या—186 एवं 197 में खतियानी जमीन है जो पाचु साव के मरने के बाद उनके लड़कों के हाथ में आया । पाचु साव के मरने के पश्चात उनके तीनों लड़कों ने आपसी बंटवारा के द्वारा सम्पत्ति का बंटवारा कर लिये। उक्त बंटवारा में जगु साव को जो सम्पत्ति हिस्सा में मिली है वह वाद पत्र के सिडयुल—1 दिया गया है। वाद पत्र के सिडयुल—2 में वर्णित सम्पत्ति मेवा साव को हिस्से में मिली थी तथा वाद पत्र में वर्णित सिडयुल—3 की सम्पत्ति गंगा साव को हिस्से में दी गयी थी। उसी तरह सभी अपने कब्जा—दखल में

आये। उनका आगे कथन है कि जगु साव अपनी आवश्यकता के लिए खाता संख्या–197 प्लौट संख्या–124 एरिया–31 डिसमिल भूमि कन्हाई साव को जुवानी इजारा में दे दिये। उसके बाद जगु साव अपने लड़का बालो साव उर्फ वल नारायण साव को नावालिग अवस्था में छोड़कर मर गये तब मेवा साव बालो साव उसे देखभाल करने लगे। उनका कथन है कि नया सर्वे वर्ष–1966–67 में ग्राम दमुहा में प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वे का काम का देखभाल वादी के पिता बलभगवान साव का भी मेवा साव ही देखते थे। बालो साव के नाम पर एक संयुक्त सर्वे खतियान तैयार किया गया जिसमें एक हिस्सा मेवा साव को और गंगा साव को  के साथ उनके दो हिस्सा को परिभाषित किया गया, लेकिन रिर्माक के कॉलम में कब्जा अंकित किया गया। उनका आगे कथन है कि मेवा साव सर्वे करने वाले कर्मचारियों को मेल में लेकर प्लौट संख्या–1024 का नया प्लौट 1594 रिर्माक कॉलम में बेईमानी के नीयत से बालो साव की जगह अपना नाम अंकित करा लिया। रिविजनल सर्वे के बाद चकबंदी योजना अधिसूचित किया गया तथा चकबंदी खतियान प्रकाशित हुआ। चकबंदी में संयुक्त खतियान बालो सिंह के नाम से प्रकाशित हुआ जिसमें एक हिस्सा बालो सिंह, तथा एक हिस्सा मेवा साव, गंगा साव दो हिस्से के साथ परिभाषित किया गया। उनका आगे कथन है कि मूल सर्वे खतियान में मेवा साव का दखल कब्जा दिखलाया गया मेवा साव के मरने के बाद देवनारायण साव का कब्जा दखल हुआ तथा देव नारायण साव के मरने के बाद उनके वारिसान कब्जा दखल में है। आगे उनका कथन है कि मेवा साव बहुत ही धुर्त व्यक्ति हैं वह परिवारि के भूमि के बड़े हिस्से को अपने नाम से डिमांड खोलवा लिये तथा जगु तथा उनके लड़के वालो साव के हिस्से की भूमि पर दावा दावा करने लगे। उनका कथन है कि मेवा साव और गंगा साव के बाल–बच्चों का कुल सम्पत्ति में एक तिहाई के हिस्सा है। वादी प्रतिवादीगण से अनुंरोध किया कि वह वादी के पिता या दादा द्वारा निष्पादित पुराना प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कागज दिखायें, लेंकिन वे वादी के अनुरोध को नहीं सुने। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण वादी के पुराना प्लौट सख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल वादग्रस्त भूमि पर बल प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहे है। उनका यह भी कथन है कि पुराना प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल भूमि इस वाद का वादग्रस्त भूमि है जो वाद पत्र के सिडयुल–4 में वर्णित किया गया है। उनका कथन है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी का हक, हकियत हैं तथा  प्रतिवादीगण का कोई हक, हकियत नहीं है। वाद का वाद कारण दिनांक–15.02.2009 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करने के लिए धमकी  दिये।

3. प्रतिवादीगण  इस वाद में उपस्थित हुये तथा अपना बयान तहरीर दाखिल किये है। जिसमें उनका कथन है कि वाद जैसा विरचित किया गया है पोषणीय नहीं है। वादी को वाद लाने  का वाद कारण प्राप्त नहीं है। यह वाद विबंध, अधित्यजन, एवं मौन स्वीकृति के प्रावधानों से बाधित है। यह वाद परिसीमा अधिनियम के तहत बाधित है। यह वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत बाधित है। वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा दिया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है। आगे उनका कथन है कि यह वाद हकियत के घोषणा के आड़ में पुर्न कब्जा–दखल के लिए लाया गया है। वाद दाखिल होने की तिथि को वादग्रस्त भूमि का मूल्य दो लाख से कम नहीं था। वादी द्वारा एडभेलोरम कोर्ट फीस दिये बिना यह वाद नहीं चल सकता है। उनका कथन है कि यह वाद प्रतिकुल कब्जा के सिद्वान्त से बाधित है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर वादी की

Alok Parya
14/3/22

जानकारी में कब्जा दखल है। उनका कथन है कि वादी एवं उनके पूर्वज अपने हित में वर्ष–1954 में बंट गये थे। इस बंटवारा में विवादित सम्पत्ति मेवा साव को खास हिस्सा में मिला। उनका कथन है कि पाचु साव के तीन लड़कों के बीच आपसी बंटवारा वर्ष 1954 में हो गयी। उक्त बंटवारा में वादग्रस्त भूमि मेवा साव को खास हिस्सा मे आवंटित की गयी। उनका कथन है कि जगु साव परिवार के कर्ता थे। जगु साव के द्वारा दिनांक–14.07.1951 को निबंधित बंधक विलेख के द्वारा वादग्रस्त भूमि को कन्हाई साव के पक्ष इजारा किया गया था। जिसे प्रतिवादी के बाबा ने बंटवारा में मिलने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि को किये गये इजारा से छोड़ाया तथा कब्जा दखल में आये। उनका कथन है कि वादी द्वारा वाद पत्र मे गलत कहा गया है कि वाद पत्र के सिडयुल–1 में वर्णित भूमि जगु साव को हिस्सा में दी गयी थी। वादपत्र के पारा–1 में कहा गया कथन को स्वीकार करते है। उनका कथन है कि सर्वे खतियान में मेवा साव के नाम से बना जिसका वादी या अन्य के द्वारा आज तक विरोध नहीं किया गया। आगे उनका कथन है कि कुछ सम्पत्ति जो वाद पत्र के सिडयुल–2 में वर्णित है वह पैतृक सम्पत्ति नहीं है, क्योंकि वह सम्पत्ति देवनारायण साव का 1954 के बंटवारा के बाद का खरीदगी सम्पत्ति है। मेवा साव की मृत्यु वर्ष–1974 में हुयी। उनका आगे कथन है कि बंटवारा सन्–1954 से प्रभाव में आया तथा जगु साव वर्ष–1956 में मरे। उनका कथन है कि बंटवारा का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। सभी पक्षकार अलग–अलग अपने हिस्से की भूमि पर काबिज–दाखिल हुये। उनका कथन है कि रिविजनल सर्वे खतियान वर्ष–1966–1967 में संयुक्त रूप से बना लेकिन सभी पक्षकार का रैयती खतियान में रिर्माक के कॉलम में कब्जा–दखल दिखाया गया। रैयती खतियान में वादग्रस्त भूमि पर मेवा साव का कब्जा दिखाया गया। वाद पत्र के पारा–3 में कहा गया कथन को आंशिक रूप से गलत कहते है। उनका आगे कथन है कि वादी जानबुझकर पाचु साव के तीनों लड़कों के बीच हुये आपसी प्राईवेट बंटवारा का वर्ष को उजागर नहीं किया है। आगे उनका कथन है कि वादी और उसके पिता बालो साव कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज–दाखिल नहीं हुये। वादी द्वारा वाद पत्र में जो सिडयुल दिया गया है वह गलत है। उनका कथन है कि वादी का वादपत्र में कहा गया कथन गलत है कि वादग्रस्त भूमि मौखिक इजारा में रखा गया था बल्कि वादग्रस्त प्लौट कन्हाई साव के यहाँ दिनांक–14.07.1951 के निबंधित बंधक विलेख के द्वारा इजारा रखा गया था। उनका यह भी कथन है कि जगु साव अपने मृत्यु के समय वर्ष–1956 में अपने अलग परिवार के कर्ता थे तथा मेवा साव और गंगा साव अपने अलग परिवार के कर्ता थे। वादी का वाद पत्र कहा गया यह कथन गलत है कि जगु साव के मरने के बाद वादी के पिता बालो साव का देखभाल मेवा साव करते थे। बालो साव के पिता के मृत्यु के समय बालो साव की उम्र 34–35 वर्ष की थी। उनका कथन है कि वाद पत्र के पारा–5 में कहा गया कथन का जबाव बयान तहरीर के पारा–12 में दिया गया है। आगे उनका कथन है कि वास्तविक कब्जा–दखल के आधार पर सर्वे खतियान में अभियुक्ति के कॉलम में नाम अंकित किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र में यह गलत कहा गया है कि मेवा साव रिविजनल सर्वे के कर्मचारियों के मेल में लाकर सर्वे खतियान के अभियुक्ति के कॉलम में अपना कब्जा दखल का प्रविष्टि करा लिया है। उनका कथन है कि 1954 के बंटवारा के आधार पर वादी का एवं प्रतिवादी का अलग डिमांड बना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग डिमांड पर कायम हुये। वादी द्वारा वाद पत्र के पारा–7 में कहा गया कथन गलत है कि मेवा साव अपने नाम से परिवार के भूमि के प्रमुख भाग का डिमांड खोलवा लिये। उनका कथन है कि

न्यायालय मुंसिफ

Alok Ryan 17/3/22

वादी अपने पैतृक भूमि जो उसके बाबा जगु साव को वर्ष–1954 के बंटवारा में हिस्सा में दी गयी थी उसके प्रमुख भाग का विक्री कर दिये हैं। वादी खाता संख्या–186 प्लौट संख्या–1032 की एराजी–9 डिसमिल भूमि देवनारायण साव के यहाँ वर्ष–2006 में विक्री किया है। देव नारायण साव 74 वर्ष की उम्र में वर्ष–2008 में मरे है। बालो साव उनसे दस साल से अधिक बड़ा थे। उनका कथन है कि वाद पत्र के पारा–9 में कहा गया कथन वादी के दिमागी शोध के पश्चात् किया गया अविष्कार है। वादी के बाबा एवं उसके पिता एवं वादी कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–दखल में नही आये, इसलिए वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिए धमकी दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनका यह भी कथन है कि वादी एवं उसके पूर्वज को पूर्ण रूप से इस तथ्य की जानकारी है कि प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अनन्य हक, हकियत, हित अधिकार है एवं कब्जा–दखल प्रतिवादीगण लगातार वादग्रस्त भूमि पर चला आ रहा है जिसकी पुरी जानकारी वादी एवं उनके वारिसानों को है। उनका कथन है कि वादी का कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा–दखल है। वादी अपने दावे के अनुसार कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अत में उनका कथन है कि प्रस्तुंत वाद खर्चा के साथ खारिज होने योग्य है।

4. **<u>उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर इस वाद में विवाद्यक का निर्धारण किया गया है, जो निम्नलिखित हैः–</u>**

1. क्या वाद जैसा विरचित किया गया है पोषणीय है ?
2. क्या वादी को वाद लाने का वाद कारण प्राप्त है ?
3. क्या यह वाद विबंध, अधित्यजन एवं मौन स्वीकृति के तहत बाधित है ?
4. क्या यह वाद काल बाधित है ?
5. क्या यह वाद विशिष्टि अनुतोष अधिनियम के तहत बाधित है ?
6. क्या यह वाद धारा–6 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत बाधित है ?
7. क्या यह वाद प्रतिकुल कब्जा से बाधित है ?
8. क्या वादी को वादग्रस्त भूमि से सरोकार है ?
9. क्या वादी कोई दुसरा अनुतोष और अनुतोषों को पाने का अधिकारी है ?

5. **<u>वादी ने अपने वाद पत्र में कहे गये कथन एवं दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जो निम्नलिखित हैः–</u>**

वादी साक्षी संख्या–1 रतन साव

वादी साक्षी संख्या–2 नरेश यादव

वादी साक्षी संख्या–3 रामजी यादव

वादी साक्षी संख्या–4 युगल मिस्त्री

वादी साक्षी संख्या–5 सुरेन्द्र यादव

वादी साक्षी संख्या–6 रूद्रशंकर प्रसाद औपचारिक साक्षी

वादी साक्षी संख्या–7 बालदेव प्रसाद औपचारिक साक्षी

**वादी की ओर से वाद में कहे गये कथन एवं दावे के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, जो निम्नलिखित हैः–**

प्रदर्श–1 सरकारी राजस्व रसीद पॉच फर्द,

प्रदर्श–2 क्रमिक खतियान, जो पाचु साह एवं डोमन साह के नाम से है।

प्रदर्श–2/ए क्रमिक खतियान

6. **प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीर में कहे गये कथन एवं दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जो निम्नलिखित हैः–**

प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 ललन साव उर्फ सदाशिव साहु

प्रतिवादी साक्षी संख्या–2 अमरेन्द्र साव

प्रतिवादी साक्षी संख्या–3 संजय कुमार सिंहा अधिवक्ता लिपिक

प्रतिवादी साक्षी संख्या–4 सज्जन सिंह,

प्रतिवादी साक्षी संख्या–5 अशोक कुमार, अधिवक्ता लिपिक

प्रतिवादी साक्षी संख्या–6 मुन्नी लाल सिंह, अधिवक्ता लिपिक

**प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीर में कहे गये कथन एवं दावे के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जो निम्नलिखित हैंः–**

प्रदर्श–ए दिनांक–11.05.2006 का निबंधित मुल विकय विलेख जो श्री रतन साव ने श्री देवनारायण साव को के पक्ष में निष्पादित किया है।

प्रदर्श–बी से बी/6 सरकारी राजस्व रसीद छह फर्द

प्रदर्श–सी दिनांक–14.07.1951 का मूल बंधक विलेख,

प्रदर्श–डी मूल पर्चा बालो साह के नाम का

Alok Ranjan 14/3/22

**वाद बिन्दु संख्या–7 एवं 8**

7. वाद बिन्दु संख्या–7 एवं 8 इस वाद का सबसे मुख्य वाद बिन्दु है, तथा ये दोनों वाद बिन्दु आपस में एक–दुसरे से सम्बद्ध हैं, इसलिए मैं दोनों वाद बिन्दुओं को एक साथ रखकर अभिलेख पर के साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन एवं सम्यक् विवेचन के साथ अपन मंतव्य देना चाहता हूँ।. **वादी साक्षी संख्या–2** नरेश साव ने अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में वाद पत्र में कहे गये कथन एवं दावे का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण के पारा–2 में कहा है कि रतन साव एवं शम्भू साव के बीच बंटवारा का कागज नहीं देखा हूँ। बंटवारा का कागज मेरे सामने तैयार नहीं हुआ था। बंटवारा में किसको क्या–क्या प्लौट मिला नहीं कह सकता हूँ। **वादी**

**साक्षी संख्या–3** रामजी यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य से वाद पत्र में कहे गये कथन का समर्थन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के पारा–9 में कहते हैं कि प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के दादा के मध्य मेरे सामने बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित जमीन का रकवा 10 कट्ठा है, खाता प्लौट नहीं जानता, जमीन की लम्बाई नहीं जानता चौड़ाई लगभग 100 गज है। साक्षी प्रतिपरीक्षण के पारा–10 में कहते हैं कि बंटवारा का कागज नहीं देखा हूॅ। मेरे गॉव में कौन–कौन व्यक्ति बंटा उसका लेखा–जोखा नहीं रखता हूॅ। विवादित जमीन से संबंधित कोई कागज नहीं देखा है। **वादी साक्षी संख्या–4** युगल मिस्त्री ने अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में वाद पत्र में कहे गये कथन का समर्थन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के पारा–14 में कहा है कि विवादित जमीन का कुल रकवा–09 कट्ठा है, खाता, प्लौट नहीं बता सकते है। पारा–16 में कहते हैं कि वालो साव भाई में अकेले थे उनकी मृत्यु आठ–नौ वर्ष पहले हुयी है। **वादी साक्षी संख्या–5** इन्द्रदेव यादव हैं, इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में वाद पत्र में कहे गये कथन को समर्थन करते हुए कहा है कि इस मुकदमा के विवादित जमीन करीब दस कट्ठा है यह दमुहा बस्ती से करीब 100 गज उत्तर हटकर है। पहले इस पर बालो साव खेती करते थे अब रतन साव करते है। साक्षी प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के पारा–6 में कहते हैं कि विवादित जमीन का खाता, प्लौट नहीं बता सकता हूॅ। पारा–10 में साक्षी कहते हैं कि विवादित जमीन का खतियान नहीं देखा है। पारा–11 में कहते हैं कि वादी और प्रतिवादी के पूर्वजों के बीच कैसे–कैसे बंटवारा हुआ नहीं मालुम है। **वादी साक्षी संख्या–6** रूद्रशंकर प्रसाद एवं **वादी साक्षी संख्या–7** बालदेव प्रसाद ये दोनों औपचारिक साक्षी हैं तथा ये दोनों साक्षी पेशा से अधिवक्ता लिपिक है। यह साक्षी वादी द्वारा दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने के लिए अपना साक्ष्य देने आये है, इसलिए इनके साक्ष्य का विस्तृत उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं दिखती है।

वादी ने अपने वाद पत्र में कहे गये कथन एवं किये गये दावे के समर्थन में प्रलेलीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1, से लेकर प्रदर्श–1/डी सरकारी राजस्व रसीद जो भिन्न–भिन्न वर्षों के हैं, प्रदर्श–2 कमिक खतियान है जिसके अभिधारी के कॉलम में पाचु साव एवं डोमन साव का नाम अंकित है तथा खाता संख्या–186, 189, 197 तथा खेसरा संख्या–475, 1031, 1032 एवं 473 अंकित है। प्रदर्श–2/ए खतियान पाचु साव के नाम का है।

न्यायालय मुंसिफ जहानाबाद

Alok Ranjan 14/3/22

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन मे **प्रतिवादी साक्षी संख्या–1** ललन साव जो इस वाद के प्रतिवादी संख्या–'2 हैं ने अपना साक्ष्य दिया हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण मे प्रतिवाद पत्र में कहे गये कथन एवं दावे का पुरी तरह से समर्थन करते हुए कहा है कि मेवा साव के एक लड़का मेरे पिता थे। मेरे पिता हम तीन भाई को छोड़कर मर गये। उनका साक्ष्य है कि जगु साव, मेवा साव, और गंगा साव वर्ष 1954 में प्राईवेट बंटवारा कर लिये। इस बंटवारा में विवादित सम्पत्ति मेवा साव को खास हिस्सा मिला। उनका यह भी साक्ष्य है कि जगु साव घर के कर्ता थे, जगु साव के द्वारा ही विवादित सम्पत्ति को कन्हाई साव के पक्ष में इजारा किया गया था। जिसे मेरे बाबा ने बंटवारा में विवादी सम्पत्ति मिलने के बाद छोड़वाये और दखल–कब्जा में आये। उनका यह भी साक्ष्य है कि खतियान में भी मेरे बाबा का नाम दर्ज हुआ जिसका

आज तक वादी या अन्य के द्वारा विरोध नहीं किया गया। आपसी बंटवारा 1954 के बाद सभी लोग अलग–अलग कब्जा–दखल में आये। कब्जा–दखल के आधार पर खतियान मेवा साव के नाम तैयार हुंआ। उनका यह भी साक्ष्य है कि वर्ष 1954 के बटवारा के अनुसार वादी का अलग डिमांड कायम हआ और हम लोग का अलग डिमांड कायम हुआ तथा विवादित सम्पत्ति का मालगुजारी रसीद आज भी मेरे पिता के नाम से कट रहा है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के पारा–36 में कहा है कि बंटवारा के बाद जगु साव, मेवा साव, और गंगा साव अपने–अपने घर के कर्ता हो गये। पारा–40 में साक्षी कहते हैं कि बंटवारा के बाद तीनों भाइयों का खान–पान कारोबार सब अलग–अलग होने लगा। पारा–42 में साक्षी ने कहा है कि जगुं साव द्वारा विवादित जमीन को कन्हाई साव को मोरगेज कर दिया गया था वर्ष–1951 में। पारा–43 में कहते हैं कि मोरगेज डिड को पढ़े हैं। पारा–49 में साक्षी कहते हैं कि मेवा साव की मृत्यु 1984 में हुयी थी। पारा–56 में कहते हैं कि नया सर्वे खतियान वर्ष–1966–67 में बना था। उस समय मेवा साव और गंगा साव जिवित थे। पारा–72 में साक्षी कहते हैं कि मेवा साव के नाम का मालगुजारी रसीद दाखिल कर सकता हूँ। **प्रतिवादी साक्षी संख्या–2** अमरेन्द्र साव ने अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में प्रतिवाद पत्र का पुरी तरह से समर्थन करते हुए कहा है कि जगु साव, मेवा साव और गंगा साव वर्ष–1954 में ही बंटवारा कर लिये। आपसी बंटवारा में विवादित जमीन मेरे बाबा मेवा साव को मिला था। उनका साक्ष्य है कि विवादित जमीन को संयुक्त परिवार के जगु साव इजारा रख दिये थे। इसलिए आपसी बंटवारा में विवादित जमीन मेरे बाबा को दिया गया है। जिसे मेरे बाबा ने बटवारा के बाद इजारा का रूपया लौटाकर जमीन वापस लिया था। साक्षी प्रतिपरीक्षण के पारा–17 में कहा है कि नया सर्वे खतियान में मेरे अपने दादा मेवा साव के नाम से बना, शेष लोगो के नाम का बना या नहीं मुझे नहीं मालुम। पारा–19 मेवा साव के नाम का खतियान दाखिल किया है। पारा–23 में साक्षी कहते हैं कि इजारा का कागज देखे हैं उसमें लिख है कि इजमाल परिवारके कर्ता के हैसियत से इजारा कर रहे हैं। पारा–24 में कहते है कि उसमें यह लिखा है कि मैं अपने भाई मेवा साव और गंगा साव के इजमाल परिवार के हैसयित से इजारा कर रहा हूँ। **प्रतिवादी साक्षी संख्या–3** संजय कुमार सिन्हा, **प्रतिवादी साक्षी संख्या–4** सज्जन सिंह, **प्रतिवादी साक्षी संख्या–5** अशोक कुमार एवं **प्रतिवादी साक्षी संख्या–6** मुन्नी लाल सिह ये चारो औपचारिक साक्षी हैं तथा ये साक्षी पेशा से ताईद हैं तथा ये साक्षी प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रलेखों को प्रदर्श अंकित करने हेतु अपना साक्ष्य देने आये है, इसलिए इन औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य का विस्तृत उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है।

Alok Ranjan 14/3/22

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में कहे गये प्रक्कथन एवं दावे के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–ए दिनांक–11.05.2006 का निबंधित मुल विकय विलेख जिसे रतन साव ने श्री देवनारायण साव के पक्ष में निष्पादित है। प्रदर्श–बी से प्रदर्श–बी/6 राजस्व रसीद हैं जो भिन्न–भिन्न वर्ष का है जो प्रतिवादीगण के पिता देवनारायण साव के नाम का है तथा वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित है। प्रदर्श–सी दिनांक–14.07.1951 का मूल निबंधित बंधक विलेक्ष है, जो जगु साव के द्वारा श्री कन्हाई साव के नाम से निष्पादित किया गया है जो इस वाद के वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–297 प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल से सम्बंधित है। इस इजारा विलेख के चौथा पृष्ठ के पीछे दिनांक–13.06.1965 इजारा की राशि मो0

पॉच सौ रूपया कन्हाई साच को वापस मेवा साव के द्वारा करने की बात लिखी हुयी है। प्रदर्श–डी मूल पर्चा बालो साव के नाम का है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतिवाद पत्र में कहे गये प्रक्कथन एवं दावे का पुरी तरह से समर्थन होता है।

8. इस प्रकार अभिलेख एवं अभिलेख पर वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद पत्र में कहे गये अभिकथन एवं दावे को साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा हैं। इस वाद में उभय पक्षों का स्वीकृत तथ्य है कि पाचु साव के तीन लड़का था जगु साव, मेवा साव एवं गंगा साव थे। इस वाद के वादी रतन साव जगुं साव के पुंत्र बालो साव उर्फ बल नरायण साव के लड़का हैं तथा प्रतिवादीगण मेवा साव के एकमात्र पुत्र देवनाराण साव के लड़के हैं। यह भी निर्विवाद है कि जगु साव, मेवा साव, एवं गंगा साव के बीच आपसी बंटवारा सन्–1954 में हुआ था, उक्त बंटवारा का कोई कागज नहीं बना था जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों स्वीकार करते है। वादी का वाद पत्र में कथन एंव दावा है कि इस वाद में वाद पत्र के सिडयुल–4 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–197 प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल भूमि सन् 1954 के बंटवारा के पूर्व सन्–1951 में संयुक्त परिवार में रहते हुए जगु सिंह ने कन्हाई साव के यहॉ मौखिक इजारा रखा था,। उक्त इजारा में रखी गयी खाता संख्या–197 प्लौट संख्या–1024 की एराजी–31 डिसमिल भूमि सन्–1954 के बंटवारा में वादी के बाबा जगु सिंह को हिस्सा में मिली थी। वादीगण का कथन है कि वर्ष–1966–67 के रिविजनल सर्वे के दौरान मेवा साव वादीगण के प्लौट संख्या–1024 से नया प्लौट संख्या–1594 के रिर्माक में मेवा साव ने वादीगण के पिता के जगह पर अपना नाम दर्ज करा लिये। प्रतिवादीगण का बयान तहरीर में एवं साक्ष्य है कि कब्जा के आधार पर नया सर्वे खतियान मेवा साव के नाम तैयार हुआ है। वादग्रस्त सम्पत्ति बालो साव को बंटवारा में नहीं मिला था और बालो साव एक क्षण के लिए कब्जा में नहीं आये। वादीगण वादग्रस्त भूमि को 1954 के मौखिक बंटवारा में मिलने की बात कहता है,लेकिन वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–197 प्लौट–1024 एराजी–31 डिसमिल जो कन्हाई साव के यहॉ बंधक रखा गया था उक्त निबंधित इजारा का दस्तावेज प्रदर्श–सी प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें इजारा का पैसा 500 रूपया प्रतिवादीगण के दादा मेवा साव के द्वारा दिनाक–13.06.1965 को कन्हाई साव को वापस लौटाने की बात उक्त निबंधित इजारा के विलेख के पृष्ठ संख्या–4 के पीछे लिखा हुआ है जिससे वादी के वाद पत्र में कहा गया यह कथन कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–197 प्लौट संख्या– 1024 एराजी–31 डिसमिल भूमि 1954 के मौखिक बटवारा में वादी के बाबा जगु सिंह को हिस्सा में मिली थी गलत साबित होता है। यहॉ प्रश्न उठता है कि यदि वादी के बाबा जगु सिंह को वादग्रस्त भूमि हिस्सा में मिलती तो कन्हाई साव को बंधक में रखी गयी वादग्रस्त भूमि का पैसा वापस मेवा साव प्रतिवादीगण के बाबा सन्–1954 में हुये बंटवारा के इतने दिन बित जाने के बाद दिनांक–13.06.1965 को बंधक में कन्हाई साव को दी गयी वादग्रस्त भूमि बंधक से कैसे छोड़ाते तथा कन्हाई साव निबंधित इजारा विलेख प्रदर्श–सी मेवा साव को वापस कैसे देते, इससे साबित होता है कि कन्हाई साव के यहॉ बंधक रखी गयी भूमि खाता संख्या–197 प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल जो इस वाद का वादग्रस्त भूमि है वह प्रतिवादीगण के बाबा मेवा साव को हिस्सा में मिली थी। वादी द्वारा जो भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से

Alok Pandey
14/3/22

1/डी सरकारी राजस्व रसीद हैं जो वादी के दावे की पुष्टि के लिए सक्षम दस्तावेज नहीं हैं। राजस्व रसीद से किसी के नाम से निर्गत किये जाने से उस भूमि का सही स्वामी उक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। वादी द्वारा दाखिल कमिक खतियान प्रदर्श–2 है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के परदादा के नाम से है इस दस्तावेज से वादीगण के वाद पत्र में कहे गये इस कथन कि वादग्रस्त भूमि वादी के बाबा को हिस्सा में मिली थी का कोई समर्थन नहीं होता है चूकि पाचु साव वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों के परदादा थे। वादी न तो अपने मौखिक साक्ष्य से और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं कर सका है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के बाबा को हिस्सा में मिली थी। वादीगण रिविजनल सर्वे खतियान में अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण के बाबा मेवा साव के नाम से प्रविष्टि अंकित कराने की बात कही गयी है, लेकिन वादी द्वारा नया सर्वे खतियान में उसके हिस्से में मिली भूमि को मेवा साव के नाम से हुये प्रविष्टि को आज तक गलत करार करने हेतु कोई चुनौती नहीं दिया गया। जहॉ तक वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का सवाल है तो इस वाद के वादी रतन साव ने अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य के पारा–34 में कहा है कि जगु साव ने विवादित जमीन इजारा पर रख दिया था। उस इजारा को प्रतिवादी गण के पिता द्वारा नहीं छोड़ाया गया। आज तक इजारा छोड़ाया गया या नहीं मैं नहीं जानता। उल्लेखनीय यह साक्षी इस वाद का एकमात्र वादी है तथा वादग्रस्त भूमि पर अपना दावा करता है तथा उसे आज तक गवाही देने की तिथि तक वादग्रस्त भूमि जो इजारा में कन्हाई साव के यहॉ सन् 1951 में बंधक रखा गया था जो बंधक से मुंक्त हुंआ की नहीं इतना भी उसे जानकारी नही है। पारा–36 में प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में साक्षी कहते हैं कि मेरे दादा जगू साव 31 डिसमिल भूमि का इजारा किया उसका कोई कागज नहीं बना उस 31 डिसमिल जमीन को इजारा से छोड़ाया उसका कागजी प्रमाण नहीं दे सकते। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श–सी इजारा का निबंधित विलेख दाखिल किया गया जो वादी के वाद पत्र में कहे गये कथन एवं दिये गये साक्ष्य कि मौखिक इजारा से वादग्रस्त भूमि कन्हाई साव के यहॉ बंधक रखा गया था गलत एवं झूठा साबित होता है। इस तरह से प्रतिवादीगण अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवाद पत्र में कहे गये कथन एवं दावे का पुरी तरह से समर्थन किया है कि वादग्रस्त भूमि खाता सख्या–197 प्लौट संख्या–1024 की एराजी–31 डिसमिल भूमि जो इस वाद का वादग्रस्त भूमि है प्रतिवादीगण के बाबा मेवा साव को सन–1954 में हिस्सा में मिली थी, जो भूमि बंटवारा के पूर्व जगु साव वादी के बाबा द्वारा संयुक्त परिवार के कर्ता होने के नाते कन्हाई साव के यहॉ वर्ष–1951 में बंधक निबंधित बंधक विलेख के द्वारा रख दिया गया था जिसे बाद में दिनांक–13.06.1965 को प्रतिवादीगण के बाबा मेवा साव ने बंधक का पैसा कन्हाई साव को वापस कर बंधक दस्तावेज को प्राप्त किया तथा बंधक से मुक्त किये जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर काबिज–दाखिल चल आ रहे हैं तथा सरकार को लगान अदा करते हैं तथा लगान रसीद प्राप्त करते हैं। वादी ने वाद पत्र में सही तथ्यों को वर्णित करते हुए वाद दाखिल नहीं किया है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जो कथन करता है उसे साबित करने का पूर्ण भार उसी पर होता है। प्रस्तुत वाद वादी ने लाया है जिसे साबित करने का पूर्ण भार वादी के कन्धों पर था जिसे वादी साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। वादी खुले हृदय से एवं स्वच्छ हाथों से यह वाद नहीं लाया है। वादी का वादग्रस्त भूमि खाता संख्या–197 प्लौट संख्या–1024 एराजी–31 डिसमिल भूमि पर कोई स्वत्व, हित, अधिकार एवं कब्जा–दखल प्राप्त नहीं है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी को अपना वाद में कहे गये कथन एवं किये गये

Alok Kr
14/3/22

दावे हर कोण से साबित करना होगा न कि उसे प्रतिवादीगण के खामियों का लाभ मिलेगा। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा–दखल भी नहीं है,इसलिए यह वाद प्रतिकुल कब्जा से भी बाधित है। **<u>अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषणोपरान्त वाद बिन्दु संख्या–7 एवं 8 वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है</u>**

**<u>वाद बिन्दु संख्या–1 एवं 2</u>**

9 वाद बिन्दु संख्या–1 वाद की पोषणीयता से सम्बंधित है तथा वाद बिन्दु संख्या–2 वादी को वाद लाने का बैध कारण से सम्बंधित है। इस वाद के सबसे मुख्य वाद बिन्दु संख्या–7 एवं 8 वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है तथा वाद बिन्दु संख्या–7 एवं 8 पर दिये गये मंतव्य में यह विनिश्चित किया गया है कि वादी को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व,, हित, अधिकार एवं कब्जा दखल प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व, हित अधिकार एवं कब्ज दखल प्राप्त पाया गया है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दखल पाया गया है, यह वाद प्रतिकुल कब्जा के तहत भी बाधित पाया गया है, इसलिए वादी जिस तरह से वाद का संरचना की है यह वाद पोषणीय नहीं है तथा वादी को प्रस्तुत वाद लाने का बैध वाद कारण भी प्राप्त नहीं है। **<u>अतः वाद बिन्दु संख्या–1 एवं 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।</u>**

**<u>वाद बिन्दु संख्या–3, 4, 5, 6</u>**

10. इन वाद बिन्दुओं पर बहस के दौरान उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा कोई बल नही दिया गया है। **<u>अतः ये वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।</u>**

**<u>वाद बिन्दु संख्या–9</u>**

11. इस वाद के मुख्य वाद बिन्दु संख्या–7, 8, ए**वं 1, 2** वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है, इसलिए वादी वाद पत्र में मॉगे गये कोई भी अनुतोष या अनुतोषों को पाने का अधिकारी नही है**। अतएव**

**<u>आदेश</u>**

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ससंघर्ष बिना वाद व्यय के खारिज किया जाता है।

आलोक रंजन
Alok Ranjan 14/3/22
मुंसिफ
जहानाबाद

(मुहर: न्यायालय मुंसिफ जहानाबाद)

दिनांक–14.03.2022

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित, हस्तारित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

आलोक रंजन

Alok Ranjan 14/3/22

मुंसिफ

जहानाबाद

दिनांक–14.03.2022

न्यायालय मुंसिफ जहानाबाद

–